अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)
(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012)
कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर–रतनपुर मार्ग, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 662 /अका./पात्रता/2023–24 बिलासपुर, दिनांक 07-07-2023

प्रति,

1. प्राचार्य,
   समस्त संबद्व महाविद्यालय,
   अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   वि.वि. शिक्षण विभाग
   अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2023–24 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः–
1. वि.वि. पत्र क्र. 98/अका./पात्रता/2021–22 दिनांक 03.08.2022
2. वि.वि. अधिसूचना क्रमांक 617/अका./2018 दिनांक 12.04.2018
3. वि.वि. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 31.03.2018 का पेनाल्टी संबंधी निर्णय।

—00—

विषयांतर्गत, निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंः–

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैः–

अ. स्नातक स्तर मात्र प्रथम वर्ष के लिएः–

I. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं राज्य शासन द्वारा मान्य बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. के द्वारा संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) के द्वारा आयोजित 10+2 (बारहवीं) की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

II. काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (COBSE) की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

III. छ.ग. प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम प्रभावशील होने के कारण स्नातक स्तर के भाग–1 अथवा भाग–2 उत्तीर्ण अथवा भाग–3 अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Eqpd

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:–

I. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/छ.ग. राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के भाग–प्रथम में प्रवेश की पात्रता हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:–

अ. स्नातक स्तर के लिए:–

I. छ.ग. प्रदेश के स्वशासी महाविद्यालयों/मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालायों/केन्द्रीय विश्वविद्यालय से अधुरा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करते समय परीक्षा पद्धति परिवर्तन (सेमेस्टर से वार्षिक) करने पर पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:–

I. छ.ग. प्रदेश के बाहर के मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

II. छ.ग. प्रदेश के स्वशासी महाविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अधुरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

3. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

I. पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध है। छात्रों को आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा करना होगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने की तिथि से न्यूनतम 07 दिवस पश्चात् एवं अधिकतम 15 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।

II. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन फार्म अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं **आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।**

III. पात्रता के लिए आवेदन कर रहें आवेदकों का निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये परीक्षा के समस्त वर्षो/सेमेस्टर की अंकसूचियों को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। इन अंकसूचियों में पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें।

IV. यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो, इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में लिए गये विषयों का एवं पूर्णांक व प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें तत्पश्चात्ही आवेदन अग्रेषित करें।

V. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा।

VI. नियमित विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। **उक्त तिथि के पश्चात आवेदनों के लिए संदर्भित पत्र क्र. 03 में वर्णित अनुसार पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथास्थिति) अधिरोपित की जा सकेगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।**

VII. **प्राचार्यों से अपेक्षा है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्य सूचि में उल्लेख है, उन्हीं के पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।**

VIII. छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023—24 में उल्लेखित प्रावधानों/निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त संदर्भित पत्र का पालन करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 663 /अका./पात्रता/2023—24 — बिलासपुर, दिनांक 07-07-2023

प्रतिलिपिः—

1. कुलपति जी के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने सूचनार्थ।
5. निजी नस्ती/कार्यालय अभिलेख हेतु।

कुलसचिव